

Bihar Government
General Administration Department
Corrigendum

In view of recommendation bearing letter no.-57576 dt. 17.08.2017 communicated by the Registrar General, Hon'ble High Court, Patna, the Appendix-C Clause-8 contained in Rule-8 of Bihar Superior Judicial Service (Ammendment) Rules, 2017 Notified vide Notification No.-1852 dt. 16.02.2017 shall be read along with the following proviso:-

"The minimum qualifying marks in the preliminary test would be relaxed for reserved category candidates including women and orthopedically disabled candidates by 5%.

Similarly, there shall be relaxation of 5% marks in each theory paper whereas 45% in aggregate of the written examination and viva voce would be qualifying marks for the reserved category candidates including women and orthopaedically disabled candidates."

The remaining points mentioned in the said notification shall remain as it is.

The Notification No.-7/Astha-1-3-01/2010-G.A.D.1852 dt. 16.02.2017 shall be considered as ammended upto this extent.

Sd./-

(Shiv Mahadev Prasad)

Under Secretary to the Govt.

Memo No-7/Astha-1-3-01/2010-G.A.D...../Patna-15, dated.....

Copies in duplicate along with its C.D. forwarded to Superintendent, Govt. Press, Gulzarbagh, Patna and E-Gazette cell, Finance Department, Bihar, Patna for Publication in Forth coming issue of extra ordinary Gazette.

2. Kindly send 200 (Two Hundred) Copies of this notification to General Administration Department.

Sd./-

Under Secretary to the Govt.

Memo No-7/Astha-1-3-01/2010-G.A.D....5260...../Patna-15, dated...18.4.18

Copy- forwarded to Accountant General (A&E), Bihar, Patna/Registrar General, High Court, Patna/ Principal Secretary, Cabinet Secretariat Department, Bihar, Patna/All Departments/All Head of the Department/Bihar Public Service Commission, Patna/All District & Session Judges/All Additional District & Session Judges/Principal Private Secretary to Chief Secretary, Bihar/Personal Assistant to Principal Secretary, General Administration Department, Bihar, Patna/ Section Officer, Section-3, General Administration Department, Bihar, Patna and I. T. Manager, G.A.D. for information and necessary action.

Under Secretary to the Govt.

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

शुद्धि पत्र

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-57576 दिनांक 17.08.2017 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था0-1-3-01/2010सा0प्र0-1852 दिनांक 16.02.2017 के द्वारा अधिसूचित बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम-8 में उल्लिखित प्रिशिष्ट-ग (Appendix-C) के उपनियम-8 (Clause-8) को निम्नांकित परंतुक (Proviso) के साथ पढ़ा जाय:-

“महिला एवं अस्थि विकलांग अभ्यर्थियों सहित आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक में 5 प्रतिशत की छूट होगी।

इसी प्रकार महिला एवं अस्थि विकलांग अभ्यर्थियों सहित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक सैद्धांतिक पत्र में न्यूनतम अर्हतांक में 5 प्रतिशत की छूट होगी एवं लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के न्यूनतम अर्हतांक कुल 45 प्रतिशत होंगे।”

अधिसूचना में आंकित शेष बिन्दु यथावत् रहेंगे।

अधिसूचना संख्या-7/स्था0-1-3-01/2010सा0प्र0-1852 दिनांक 16.02.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ह0/-

(शिवमहादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-1-3-01/2010सा0प्र0/पटना-15, दिनांक

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उक्त अधिसूचना की दो प्रतियाँ सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-1-3-01/2010सा0प्र05260...../पटना-15, दिनांक ...18.4.18.....

प्रतिलिपि:-महानिबंधक (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के निजी सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।